


श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियार म0प्र0

(कैंपकोर्ट रीवा)



हृदय नारायण सिंह तनय श्रीरामप्रीत सिंह निवासी ग्राम कुदरी तहसील सोहगपुर हाल निवासी जी09/71 पुलिस लाइन नेहरू नगर भोपाल म0प्र0

— आवेदक / निगाराकार

विरुद्ध

- 1- खड़ग सिंह तनय श्री रामप्रीत सिंह,
- 2- श्रीमती शैलेन्द्री सिंह पुत्री श्री चन्द्रिका सिंह दोनो निवासी ग्राम कुदरी तहसील सोहगपुर जिला शहडोल म0प्र0

— अनावेदक / गैरनिगाराकार

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय के प्रकरण क्र0 726 / निगारानी / 7-8 में पारित आदेश दिनांक 13/06/08 के विरुद्ध निगारानी

अन्तर्गत धारा 50 भू0 राजस्व संहिता

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षेप तथ्य यह है कि निगाराकर हृदय नारायण सिंह शासकीय सेवा में अपने गृह ग्राम कुदरी से बाहार भोपाल में निवास करते थे जिस कारण अपने स्वामित्व एवं कब्जे दखल एवं पट्टे की आराजी जो तहसील सोहागपुर में थी उसकी व्यवस्था सही ढंग से न कर पाने के कारण एवं विभिन्न न्यायालय चल रहे न्यायालयीन मुकदमों की पैरवी हेतु एक मुक्तियार नामा अपने भाई खड़ग सिंह जो इस प्रकरण में अनावेदक है के नाम दिनांक 05/05/90 निष्पादित कराया । अनावेदक ने आवेदक के विवादित आराजी का नामान्तरण दिनांक 23/01/91 को स्वत्व अपने नाम करा लिया इस आदेश के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में की गई जहाँ पर अनावेदक द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि नामान्तरण सहमति पर पारित किया गया है इस लिए अपील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.269-II/12

जिला- शहडोल

हृदयनारायण सिंह/ खड़ग सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	<p>1. प्रकरण आज प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित एवं अनावेदक अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा अनुपस्थित है।</p> <p>3. दिनांक 23.01.19 को उभयपक्ष अभिभाषकगणों के तर्क धारा 5 के बिन्दु पर सुने गये।</p> <p>4. दिनांक 14.02.19 को आवेदक अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित एवं अनावेदक अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा अनुपस्थित थे।</p> <p>5. दिनांक 23.01.19 को उभयपक्ष अभिभाषकगणों के तर्क सुनने के उपरान्त यह पाया गया, कि अधीनस्थ अपर आयुक्त के द्वारा हृदय नारायण (निगरानीकर्ता) के विरुद्ध दिनांक 12.06.18 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, लेकिन उक्त दिनांक की सूचना की तामीली आवेदक को नहीं थी। आवेदक (निगरानीकर्ता) को सुने बिना ही अपर आयुक्त द्वारा एक तरफा निर्णय लिया गया जो उचित नहीं था। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये, अपर आयुक्त के द्वारा दिनांक 12.06.08 की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है, जिससे दिनांक 13.06.08 की कार्यवाही स्वतः ही दूषित हो जाती है।</p> <p>6. अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल को प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि आवेदक हृदय नारायण को भी मौका देते हुये, उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करें।</p>	

hmr
15/2/19

3

7. उभय पक्ष दिनांक 25.04.19 को अपर आयुक्त न्यायालय में उपस्थित हो।

32

अ.क. जैब
सदस्य 25/4/19